न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 36 / 2024

GCMS No. : 2024/226

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण :–**
जरिये सरकार नारायणसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		सुशिल पुत्र श्री रामकिशोर जाति ब्राहम्ण मैसर्स शारदा स्टार्च प्राईवेट लिमिटेड एफ 55 II फेज इण्डस्ट्रीयल एरिया पाली (फैक्ट्री मैनेजर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51 व धारा 52

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 24.7.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 26.09.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स शारदा स्टार्च प्राईवेट लिमिटेड एफ 55 II फेज इण्डस्ट्रीयल एरिया पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। प्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम सुशिल बताया एवं स्वंय को फर्म का मैनेजर होना बताया। अप्रार्थी से खाद्य अनुज्ञा पत्र के बारे में पुछने पर अनुज्ञा पत्र पेश किया। फर्म का निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में भारी मात्रा में केसिया स्पिलट रखा हुआ था। जिसे खाद्य विभाग ने मसाले कि श्रैणी में रखा है, अप्रार्थी के यहा कैसिया स्पिलट का उत्पादन किया जाता है, जिसके सन्दर्भ में अप्रार्थी ने अनुज्ञा पत्र ले रखा है। फैक्ट्री में केसिया स्पिलट आमजन को विक्रय हेतु रखा गया था। जिसके बारे में पुछने पर बताया गया कि इसे मसाले मे उपयोग किया जाता है, जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने केसिया स्पिलट का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की जिसके लिए मेने दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नही होने कि स्थिति में मेरे साथ आये ओमप्रकाश कम्प्युटर ऑपरेटर कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की केसिया स्पिलट का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 01 किलो केसिया स्पिलट वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 160/– रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा केसिया स्पिलट को चार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

पैकेट में नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–2115 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया केसिया स्पिलट का नमुना संख्या आर–2115 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस / 2686 / एक्ट / 2023 / 2870 दिनांक 03.11.2023 के अनुसार Misbranded (मिथ्याछाप) एवं Substandard (अवमानक) पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये डाक अप्रार्थी को भिजवायी गयी, अप्रार्थी द्वारा उक्त रिपोर्ट के सन्दर्भ में किसी प्रकार का प्रतिउत्तर नही देने पर प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Misbranded (मिथ्याछाप) एवं Substandard (अवमानक) केसिया स्पिलट का उत्पादन / विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी की फैक्ट्री से केसिया स्पिलट का नमुना लिया गया। केसिया स्पिलट का उत्पादन टोरा के पौधे के बिजो से होता है जिसे सिनेमोमन केसिया के नाम से भी जाना जाता है। केसिया स्पिलट टोरा गम एक पॉलीसेकेराइड है जिसे आमतौर पर गम पाउडर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका आमतौर पर उपयोग कपडा छपाई कागज निर्माण, व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद, पशु चारा सहित विभिन्न अनुप्रयोगो में उपयोग किया जाता है। यह कोई मसाला नही है, लेकिन जाचं रिपोर्ट मे इसे दाल चीनी मसाले के रूप में माना है, जिसके संबध में स्पाइस बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कैसिया टोरा बिज के उत्पाद को मसाले की श्रेणी में नही माना है। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर ने उक्त नमुना पदार्थ केसिया स्पिलट को मसाले के मानक स्तर पर जांचा गया है, जो विधि विरूद्व है। खादय सुरक्षा अधिकारी ने जानकारी के अभाव में अप्रार्थी की फैक्ट्री से उक्त नमुना लिया गया जो खाद्य पदार्थ की सुची में नही आता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि कैसिया पाउडर खाद्य पदार्थो की श्रेणी में नहीं आता है परन्तु प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वक्त बहस प्रस्तुत Mecial, Health and Family Welfare Department, Food Safety and Standards Authority of India, License under FSS Act, 2006 Government of Rajasthan द्वारा जारी अप्रार्थी की फर्म का License Number 12222036000161 दिनांक 14.06.2022 के बिन्दु संख्या 2 के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी ने अपनी फैक्ट्री के अनुज्ञा पत्र में अन्य खाद्य पदार्थ के साथ–साथ कैसिया के उत्पादन का भी अनुज्ञा पत्र ले रखा है, जिसके आधार पर केसिया स्पिलट मसाले की श्रेणी में आने से खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी की फैक्ट्री से केसिया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

स्पिलट का नमुना वास्ते जांच हेतु लिया, जो नियमानुसार है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.09.2023 को अप्रार्थी की फर्म से केरिया स्पिलट वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–2115 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है, कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये केसिया स्पिलट का नमुना कोड संख्या आर–2115 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया केसिया स्पिलट खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम 2011 के विनियमन संख्या 2.9.5(2) के अन्तर्गत आता है तथा अप्रार्थी के फर्म से लिया गया केसिया स्पिलट का नमुना Misbranded (मिथ्याछाप) एवं Substandard (अवमानक) पाया गया।

खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन में पाया गया कि केसिया स्पिलट की पैकिंग पर पैकेट में स्थित पदार्थ के बारे में किसी प्रकार का विवरण अंकन नही है, जो खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम 2011 की धारा 2.2.1 का उल्लंघन है, साथ ही रिपोर्ट में Volatile oil contant on dry basis by v/w 1.44% पाया गया जो 2.0% से कम नही होना चाहिए, जो कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(B)(ii) का उल्लंघन पाया गया। जिसका अप्रार्थी द्वारा उत्पादन/विनिमय/विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों का उल्लघंन है तथा धारा 51 एवं 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Misbranded (मिथ्याछाप) एवं Substandard (अवमानक) केसिया स्पिलट का उत्पादन/विक्रय/विनिमय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 50,000/– अक्षरे पच्चास हजार रूपये एवं इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 50,000/– अक्षरे पच्चास हजार रूपये कुल 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 24/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)